

**प्रपत्र सं. 8**  
(देखें विनियम 53)

**कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 74 (2) के अंतर्गत आवेदन**

**राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष**

1. आवेदक कम्पनी का नाम----- मै. अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
2. कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का पता----- 15, यूजीएफ, इंड्र प्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
3. आवेदक कम्पनी का वैध ई-मेल पता तथा टेलीफोन नंबर----- Email: [sect@ansals.com](mailto:sect@ansals.com), फोन नं. 011-41519394, 39913112 तथा 39913100
4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ऊपर नामित कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 74 (2) के अंतर्गत जमाओं के पुनर्भुगतान के लिए समय के विस्तार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ब्लॉक नं. 3, भू तल, 5वां, 6ठा, 7वां एवं 8वां तल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में स्थित माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ के समक्ष एक आवेदन दाखिल करने का प्रस्ताव करती है।
5. इस संदर्भ में अंग्रेजी के दो अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् बिजनेस स्टैण्डर्ड तथा फाइनांसियल एक्सप्रेस तथा जहां कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है, उस क्षेत्र में व्यापक प्रसारण वाले भाषा में जनसत्ता समाचार पत्र में 12.07.2016 को एक साधारण सूचना प्रकाशित की गई है।
6. मामले का तथ्य/ औचित्य तथा आवेदन में मांगी गई राहत संक्षेप में इस प्रकार है:

**मामले का तथ्य:**

आवेदक कम्पनी एक पब्लिक लिमिटेड तथा सूचीबद्ध कम्पनी है एवं वर्ष 1986 से आम जनता से जमाएं स्वीकार करती रही है। आवेदक कम्पनी नियमित रूप से तथा तत्परता के साथ सावधि जमाओं के मूलधन तथा उस पर उपचयित व्याज का पुनर्भुगतान करती रही है। आवेदक कम्पनी ने 31 मई, 2016 तक परिपक्व तथा दावा की गई सावधि जमाओं को सतर्कता एवं निष्ठा के साथ वापस भुगतान किया है तथा उसके बाद वर्तमान आवेदन दाखिल करने तक यथा संभव अधिकतम सीमा तक भुगतान किया है। रीअल इस्टेट क्षेत्र में अन्य कम्पनियों की तरह रीअल इस्टेट उद्योग में व्यापक तथा अत्यंत समग्र मंदी के कारण आवेदक कम्पनी का टर्न ओवर तथा बिक्री उगाही वित्र वर्ष 2015-16 के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

वर्तमान में, इंडिया रैटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप में आवेदक कम्पनी की सार्वजनिक जमा योजना को "IND tA-/Stable" दर्जा प्राप्त है। वित्र वर्ष 2014-15 के संबंधित टर्न ओवर तथा लाभ की तुलना में वित्र वर्ष 2015-16 के दौरान कम टर्न ओवर तथा लाभ की देखते हुए इस रैटिंग को डाउनग्रेड किये जाने की संभावना है। रैटिंग में किसी तरह की डाउनग्रेडिंग की स्थिति में आवेदक कम्पनी किसी नई जमाओं को स्वीकार करने अथवा वर्तमान जमाओं का नवीकरण करने में सक्षम नहीं होगी तथा दूसरी ओर वर्तमान जमाओं को संबंधित परिपक्वता तिथियों को वापस लौटाना होगा। इसके परिणामस्वरूप, आवेदक कम्पनी को वित्र वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान जमाओं को काफी मात्रा में धन वापस लौटाना होगा। उसकी जारी परियोजनाओं की पूर्णता के लिए आवेदक कम्पनी की धन की आवश्यकताओं का विचार करते हुए आवेदक कम्पनी की वर्तमान/ भविष्य की नगदी स्थिति इस व्यापक नगदी प्रवाह को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी, अतः सार्वजनिक जमाओं जो उनकी तय तिथि को देय हैं, के भुगतान में पुनर्निर्धारण/ परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

आवेदक कम्पनी अन्य उपायों के अतिरिक्त एनसीआर में प्रमुख स्थानों/ देश के अन्य भागों में उसकी तैयार/ निर्माणाधीन व्यावसायिक/ आवासीय परियोजनाओं से नगदी की त्वरित उगाही, इन्वेन्टरीज की धीमी बिक्री से उत्पन्न उसकी वर्तमान व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली/ एनवीएफसी'ज से अतिरिक्त उधारों की उगाही करने, पुराने तथा/ स्टेकी ऋणों की उगाही करने, विलंबित भुगतान पर कम व्याज दंड के साथ उनकी बकाये को कृती अर करने के लिए तथा कुछ मामलों में संपूर्ण व्याज में छूट देने का प्रस्ताव करने वाले विभिन्न सन्दार्भ डेव्टर्स को तैयार करने सहित नगदी उगाही के लिए प्रभावकारी कदम उठा रही है। अगले 1 से 3 वर्षों की अवधि में यह उगाही संभावित है। आवेदक कम्पनी के प्रबंधन अत्यधिक आश्वस्थ हैं कि ऊपर वर्णित उपचारात्मक प्रक्रिया/ कदम उठाने के बाद आवेदक कम्पनी इस वित्तीय दबाव से मुक्त हो जाएगी। तथा सावधि जमा धारकों की बकायों का पूरी तरह से निपटारा करने में सक्षम होगी।

पुनर्भुगतान के लिए समय के प्रस्तावित विस्तार के कारण उन्हे हुई कठिनाई के लिए जमा धारकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए आवेदक कम्पनी विलंबित पुनर्भुगतानों पर अनुबंधित व्याज दर से ऊपर एवं अधिक 0.5% प्रति वर्ष व्याज के भुगतान का प्रस्ताव करती है।

**मांगी गई राहतें:**

अन्य राहतों के अलावा, विभिन्न श्रेणियों की जमाओं के पुनर्भुगतान के लिए समय विस्तार इस प्रकार है:

- i) रु. 50,000 तक की जमाओं का संपूर्ण भुगतान उनकी मूल परिपक्वता तिथि को;
- ii) रु. 50,000 से अधिक तथा रु. 1,00,000 तक की जमाओं; 50% मूल धन राशि मूल परिपक्वता तिथि को तथा शेष 50% मूल परिपक्वता तिथि से 1 वर्ष बाद;
- iii) रु. 1,00,000 से अधिक तथा रु. 2,00,000 तक की जमाओं; 40% मूल धन राशि मूल परिपक्वता तिथि को, 30% मूल धन राशि मूल परिपक्वता तिथि से 1 वर्ष बाद; तथा 30% मूल धन राशि मूल परिपक्वता की तिथि से 2 वर्ष बाद; तथा
- iv) रु. 2,00,000 से अधिक की जमाओं; 15% मूल धन राशि मूल परिपक्वता तिथि को, 25% मूल धन राशि मूल परिपक्वता तिथि से 1 वर्ष बाद, 25% मूल धन राशि मूल परिपक्वता तिथि से 2 वर्ष बाद तथा शेष 35% मूल धन राशि मूल परिपक्वता तिथि से 3 वर्ष बाद।

व्याज का भुगतान गैर संचयी जमाओं के मामले में जमाकर्ता द्वारा चयनित मूल योजना के अनुसार मासिक अथवा तिमाही रूप से किया जाएगा तथा संचयी जमाओं के मामले में, एक किस्त की तिथि तक उपचयित व्याज का भुगतान उस किस्त के साथ किया जाएगा।

आवेदन दाखिल करने की तिथि से परिपक्वता पूर्व भुगतान की स्वीकृति नहीं होगी, कठिनाई के मामलों जैसे खतरनाक बीमारियों, 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं/ विधुरों की शादी तथा अश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा आदि के लिए प्रति कैलेंडर तिमाही रु. 60,00,000/- (रुपए साठ लाख) तक प्राथमिकता आधार पर भुगतान किया जाएगा।

7. निरीक्षण के लिए आवेदन की एक प्रति कार्यालय अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होगी।

8. इस मामले में कोई भी इच्छुक व्यक्ति (जमाकर्ता) अपनी आपत्ति सूचना की तिथि से तीस दिनों के भीतर पीठ अधिकारी, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, ब्लॉक नं. 3, भू तल, 5वां, 6ठा, 7वां एवं 8वां तल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के पास भेज सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से  
अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के लिए  
हस्ता-  
एस.एन. ग्रोवर  
अति. वी.पी. एवं कम्पनी सचिव  
एम. न. एफसीएस 4055

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 11.07.2016